न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

रामेश्वर बनाम प्रभुदयाल वगैरह

दावा

..... हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्र.सं. 15/2022

...2024

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रतिवादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज प्रारम्भिक डिक्री पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील वादी ने प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र एतराज प्रारम्भिक डिक्री व वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश एतराज प्रार्थना पत्रं प्रारम्भिक डिक्री व वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मूल वादपत्र बाबत तकास्मा पत्रावली दिनांक 31.07.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

31.07.2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय आदेश एतराज प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक डिक्री व वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मूल वादपत्र बाबत तकास्मा पत्रावली दिनांक 12.08.2024 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:38:54 IST
Reason: SelfAttested

12.08.2024

पत्रावली आज वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एतराज प्रारम्भिक डिक्री व वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस व पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा व राजीनामा के सलंग्न

—लगातार—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

ओखा बनाम प्रभुदयाल

दावा नं. - 15/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	बंटवारे बाबत नजरी नक्शा व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा व मौके की एंव रास्ते की सुविधा अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रतित होते है। जो संतुलित व समभावना के अनुरूप होने एंव पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा व इसके संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार विभाजन होने से एतराज प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होने पर एतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा वकील प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने तथा उसके वारिसान् में प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 व 1/4 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/3, 1/5 व 1/6 के हक में रजिस्टर्ड हकत्याग लेख करवा दिये जाने से वकील प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2 व 1/4 के द्वारा हकत्याग कर दिये जाने से उनका सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1/3, 1/5 व 1/6 के हक किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर [illegible] किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
151/2022	2022/391	17.11.2022	12.08.2024 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. राजेश पुत्र शंकरलाल आयु 36 वर्ष जाति जाट निवासी ढाणी डेरादूदा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादी——

बनाम्

1. प्रभूदयाल पुत्र रामदेव मृत्तक के बजायः–
   - 1/1 पतासी देवी पत्नी स्व. प्रभूदयाल
   - 1/2 फूली देवी पुत्री स्व. प्रभूदयाल
   - 1/3 मनोहर पुत्र स्व. प्रभूदयाल
   - 1/4 सुमित्रा पुत्री स्व. प्रभूदयाल
   - 1/5 हवलदार पुत्र स्व. प्रभूदयाल
   - 1/6 सुबेदार उर्फ सुभाष पुत्र स्व. प्रभूदयाल
2. छत्रपाल पुत्र चौथमल
3. शिम्भू पुत्र नारायण (नाम हजफ)

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरादूदा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

4. गोपाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी ढाणी सुतल्यावाली तन् ग्राम भारणी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 (नाम हजफ)

कैलाश पुत्र चोथमल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

6 बोदूराम पुत्र रामदेव

7 भगवानी देवी पत्नी चोथमल

8 मोहनी देवी पुत्री चोथमल

9 सीता देवी पुत्री चोथमल

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरादूदा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

10. पटवारी पटवार हल्का श्रीमाधोपुर जिला सीकर

11. उपपंजीयक श्रीमाधोपुर जिला सीकर

12. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

13. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—— प्रतिवादीगण ——

14. छोटी देवी पत्नी शंकरलाल

15. भंवरलाल पुत्र शंकरलाल

16. राजेन्द्र कुमार पुत्र शंकरलाल

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी डेरादूदा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——तरतीबी प्रतिवादीगण——

उपस्थितः—

श्री नरेश कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/6, 2, 5 से 9 की ओर से अभिभाषक।

श्री कानाराम पूनियां, एड0 तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 से 16 अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2402 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2726/2404 रकबा 0.1150 है0, खसरा नम्बर 2727/2404 रकबा 0.0150 है0, खसरा नम्बर 2816/2403 रकबा 0.0780 हैक्टर, खसरा नम्बर 2817/2403 रकबा 3.5520 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.8000 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसकी 1/16 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम एवं 1/16, 1/16, 1/16 हिस्से की खातेदारी तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 14 ता 16 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही हैं एवं शेष हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी नम्बर 1 ता 2 एवं 5 ता 9 के नाम से अंकित चली आ रही है। उक्त वर्णित भूमियां वादी एवं तरतीबी पक्षकार एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की भूमियां है तथा उक्त भूमियो का पक्षकारान के मध्य कोई विधिक विभाजन नहीं हुआ हैं तथा बिना विधिक विभाजन सह खातेदार का कानूनन इंच इंच पर हक हिस्सा अधिकार होता हैं तथा बिना विधिक तकास्मा कराये ही विशिष्ठ भू–भाग पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने व कृषि भूमि से अकृषि भूमि में परिवर्तित करने [illegible] आदि का हक अधिकार नही होता हैं। प्रतिवादीगण के मन में [illegible] की बढती हुयी कीमतो के कारण बदयान्ति आ गयी है [illegible] द्वारा आये दिन अनावश्यक रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

से वादीगण से वाद विवाद उत्पन्न किया जाता है तथा उक्त भूमि का समुचित रूप से काश्त के रूप मे उपयोग करने मे अवरोध कारित किया जाता है तथा बात–बात को लेकर झगडे फिसाद एवं मरमार करने पर प्रतिवादीगण उतारू हो जाते है। इसलिये उक्त भूमि का वादी एवं तरतीबी पक्षकार का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी मे काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादी एव तरतीबी पक्षकार अपनी आवश्यकतानुसार अपनी भूमि को समुचित विकास एव उपयोग–उपभोग करने से महरूम हो रहे है। भूमि का विधिक तकास्मा नही होने से वादी एव तरतीबी पक्षकार अपने हक हिस्से की भूमि को उन्नत एव उपजाऊ बनाने में बाधा उत्पन्न हो रही हैं। सरकारी सहायता से भी वंचित हो रहे है। इसलिये उक्त वर्णित भूमि का कानूनी विभाजन कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हो गया है। उक्त वर्णित भूमि को बाला–बाला बिना विधिक या संतुलित रूप से बंटवारा करवायें ही भूमियों को दीगर भूमाफियो को विक्रय कर उनका कब्जा करवाने व भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर निर्माण करने एवं कृषि भूमि को अकृषि भूमि में परिवर्तित करने एवं जोर जबरन ताकत के बल पर विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा करने एवं निर्माण करने की धमकियां दे रहे हैं व मौके पर काफी निर्माण सामग्री डालकर युद्धस्तर पर निर्माण करने पर आमादा हो रहे है। वादी एवं तरतीबी पक्षकार को उनके हक हिस्से से महरूम कर बेदखल करने की धमकियां दे रहे हैं व कुचेष्टा कर रहे है। जिनको शामलाती भूमि का बिना बंटवारा कराये कोई हक अधिकार किसी प्रकार का नहीं हैं। वादी एवं तरतीवी पक्षकार को प्रतिवादीगण ने काफी हैरान परेशान कर रखा है, कहने, समझाने से प्रतिवादीगण मान नहीं रहे हैं। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया [illegible] हित में आवश्यक हैं। प्रतिवादीगण बिना बंटवारा [illegible] बढती हुयी कीमते के कारण उनके मन में बदयान्ति आने पर दीगर भूमाफियाओं को विशिष्ठ भू–भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

को बेचान करने एवं जबरन विशिष्ट भू भाग पर कब्जा करने पर आमादा है। कहने समझाने से मान नहीं रहे है तथा धमकी दे रहे है कि हम हमारी ईच्छानुसार भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करके वादी एवं तरतीबी पक्षकार को शामलाती भूमि से बेदखल करेंगे तथा भूमि को अकृषि भूमि मे बदलेंगे एवं दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को विक्रय करेंगे। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त शामलाती भूमि मे विशिष्ट जगह पर स्वयं का कब्जा कर लिया या दीगर भूमाफियावृत्ति के लोगो को अन्तरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अन्तरित कर दिया या भूमि मे निर्माण कर लिया या कृषि भूमि से अकृषि मे तब्दील कर दिया तो वादी एवं तरतीबी पक्षकार के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होंगे। वादी एवं तरतीबी पक्षकार अपने हिस्से की भूमियों से बेजा तौर पर महरूम हो जावेंगे अनावश्यक रूप से मुकदमेंबाजी बढ़ेगी, जिससे वादी एवं तरतीबी पक्षकार को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। इसलिए प्रतिवादीगण की उक्त गलत, अवैध एवं मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के कानूनी अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को न्यायहित में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति आवश्यक है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अपनी उक्त भूमियों का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए वादीगण ने उपरोक्त भूमियों का बटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 को कहा तो वे आजकल–आजकल करते रहें तथा दिनांक 15.11.2022 को प्रतिवादीगण ने भूमियो का कानूनी बंटवारा करवाने से स्पष्ट इन्कार किया तथा बिना विभाजन के भूमियों के कीमति विशिष्ट एवं उपजाऊ [illegible] जोर जबरन अतिक्रमण करने एवं कब्जा करने व कृषि [illegible] दीगर व्यक्तियो [illegible] अन्तरित करने व उक्त भूमियो में जबरन [illegible] के बल पर निर्माण करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की एहत्मालिया धमकी देने से वादकारण पैदा हुआ है व लगातार हो रहा है। वादी द्वारा न्यायालय मे दावा पेश कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2402 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा नम्बर 2726/2404 रकबा 0.1150 है0 खसरा नम्बर 2727/2404 रकबा 0.0150 है0. खसरा नम्बर 2816/2403 रकबा 0.0780 हैक्टर, खसरा नम्बर 2817/2403 रकबा 3.5520 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 3.8000 हैक्टर तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 का वादी एवं तरतीबी पक्षकार एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 2 एव 5 ता 9 के मध्य उनके दर्ज हिस्से के अनुसार भू होल्डिंग की सम्भावना के अनुरूप बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिक विभाजन करवाया जाकर अलग-अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावे तथा अलग-अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि वे उक्त वर्णित भूमि को बिना विधिक बंटवारा कराये दीगर अजनबी, भूमाफियावृत्ति के लोगो को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा, दानलेख, से अन्तरित नही करे, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग को दीगर किसी को रहन रखें, ना ही कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील करें, ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ट भाग पर कोई अवैध कब्जा आदि करने का प्रयास करें, ना ही उक्त भूमियों के किसी भी भू-भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य करें, ना ही दीगर से करावे, ना ही वादी एवं तरतीबी प्रक्षकार के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करे, ना ही दीगर से करावें। दावा वादी बहक तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद [illegible] का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वादी द्वारा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं 1 की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा मय जवाब दावा पेश किया। तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 14 लगायत 16 की ओर से श्री कानाराम पूनिया एड0 ने वकालतनामा पेश किया। वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली तारीख पेशी से पूर्व तलब की जाकर वादी की ओर से श्री कानाराम पूनियां एड0 ने पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया। जिसमे उपस्थित वादी की पहचान वादी वकील श्री कानाराम पूनिया एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 5 ता 9 की पहचान श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहकर नाम हजफ किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित करने पर वकील प्रतिवादी की अनापत्ति के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम हजफ किया गया। प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 की तामील करवाए 3 माह से भी अधिक का समय हो चूका हैं। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 10 ता 12 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के पक्ष में वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर सहमति व्यक्त कर दिये जाने पर वकील वादी द्वारा प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से वादपत्र में पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हक हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार [illegible] एण्ड बाउण्ड्स विधिक विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी [illegible] हेतु निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने [illegible]तिवादीगण का भी विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

विभाजन किये जाने हेतु अपनी सहमती व्यक्त की। वादपत्र के बटवारा से सम्बन्धित होने एवं प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के पक्ष में राजीनामा प्रस्तुत कर दिये जाने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु बहस वकलाय उभय पक्षकारान सुनी गई।

प्रकरण में दिनांक 24.05.2023 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/रथा/ प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1930/रीडर/2023 दिनांक 23.06.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 1867/भू.अ./2023 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 1 के फौत होने पर उसके वारिसान् को रिकार्ड पर लाया गया।

वकील वादी ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर प्रार्थना पत्र एतराज प्रारम्भिक डिक्री रिपोर्ट पेशकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादीगण के शामलाती मकानों के सामने के चौक की जगह 30 फुट चौडी को छोडकर उसके आगे शामलाती रास्ता करीबन 20 फुट चौडा निकालकर पक्षकारान् की भूमि के रास्ते में [illegible] तथा बची हुई जमीनों का चार भागों में बराबर बराबर बंटवारा [illegible] हुए प्राप्त प्रारम्भिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

डिक्री रिपोर्ट को निरस्त कर पुन प्रारम्भिक डिक्री रिपोर्ट उभय पक्षकारान की मौजूदगी मे मंगवाये जाने का पेश किया था। जिसके प्रत्युत्तर मे वकील प्रतिवादीगण ने अवगत कराया कि वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपस मे अदालत मे उपस्थित होकर राजीनामा मय नजरी नक्शा आपसी स्वैच्छिक सहमति से पेश किये जाने पर उसी अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये जाने से वकील प्रतिवादीगण ने एतराज प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस व पक्षकारान् के मध्य आपस मे हुए राजीनामा व राजीनामा के सलंग्न बंटवारे बाबत नजरी नक्शा व तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना मे प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव, पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा व मौके की एंव रास्ते की सुविधा अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया जाना प्रतित होते है। जो संतुलित व समभावना के अनुरूप होने से एंव पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए राजीनामा व इसके संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार विभाजन होने से एतराज प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित होने पर एतराज प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

वकील प्रतिवादीगण ने वादपत्र में वर्णित भूमियों में प्रतिवादिया संख्या 1/1, 1/2, 1/4 द्वारा रजिस्टर्ड हकत्याग लेख दिनांकित 11.03.2024 को उप पंजीयक श्रीमाधोपुर के यहॉ पंजीबद्ध कराते हुए हकत्याग कर्त्ता 1/1 पतासी देवी , 1/2 फूली देवी, 1/4 सुमित्रा देवी के द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 1/5 व 1/6 के हक में कर दिये जाने से प्रतिवादिया संख्या 1/1, 1/2, 1/4 का हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 1/5 व 1/6 के नाम अंतिम डिक्री ... करने का पेश किया गया। जिस पर वकुलाय उभय पक्षकारान् को ... प्रार्थना पत्र के संलग्न रजिस्टर्ड हकत्याग की प्रति से प्रतिवादिया संख्या 1/1, 1/2, 1/4

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

के द्वारा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 1/5 व 1/6 के हक मे हकत्याग कर दिये जाने से प्रतिवादी संख्या 1 के बंटवारा प्रस्ताव मे दी गई सम्पूर्ण भूमियों प्रतिवादीगण संख्या 1/3, 1/5 व 1/6 के हक मे दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

प्रकरण मे तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा अनुसार ही होने से वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

कियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनाक 10.10.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाते की स्थिति :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा नं.	रकबा हैक्टेर	किस्म	लगान (रू. में)
593	1 कैलाशचन्द पुत्र चौथमल	2403	0.0400	बारानी–2	0.16

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार 2. छत्रपाल सिंह पुत्र चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार 3. छोटी देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार 4. प्रभूदयाल पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4 जाति जाट सा.देह. खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक, श्रीमाधोपुर 5. बोदूराम पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4, जाति जाट सा. देह खातेदार 6. भगवानी देवी पत्नि चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार 7. भँवरलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार 8. मोहनी देवी पुत्री चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार 9. राजेन्द्र कुगार बिजारणियाँ पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/16	2726/2404	0.1150	बारानी 2	0.45
	2727/2404	0.0150	गै.मु. रास्ता	
	2816/2403	0.0780	गै.मु. रास्ता	
	2817/2403	3.5520	बारानी 2	13.85

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	जाति जाट सा. देह खातेदार 10 राजेश बिजारनिया पुत्र शकरलाल हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार 11 सीता देवी पुत्री चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार				
	योग खाता	किता–5	3.8000		14.46

मौके एव राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव

	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रू. मे)
01	1. कैलाशचन्द पुत्र चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार	2727/2404 2816/2403	0.0150 0.0780	गै.मु. रास्ता गै.मु. रास्ता	
	2. छत्रपाल सिंह पुत्र चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार	2817/2403 /6	0.200	बारानी 2	
	3. छोटी देवी पत्नि शंकरलाल हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार	2402	0.04	बारानी 2	
	4. प्रभूदयाल पुत्र रामदेव हिस्सा				

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

1/4 जाति जाट सा.देह खातेदार रहिन पंजाब नेशनल बैंक श्रीमाधोपुर मृतक के बजाय – 1/3 मनोहर पुत्र स्व. प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर 1/5. हवलदार पुत्र स्व0 प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर 1/6. सुबेदार उर्फ सुभाष पुत्र स्व0 प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर 5. बोदूराम पुत्र रामदेव हिस्सा 1/4. जाति जाट सा. देह खातेदार 6. भगवानी देवी पत्नि चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार 7. भँवरलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार 8. मोहनी देवी पुत्री चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार 9. राजेन्द्र कुमार बिजारणियॉ				

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

	पुत्र शकरलाल हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार 10. राजेश बिजारनिया पुत्र शकरलाल हिस्सा 1/16 जाति जाट सा. देह खातेदार 11. सीता देवी पुत्री चौथमल हिस्सा 1/20 जाति जाट सा. देह खातेदार कुल योग	कुल किता–4	0.3330	गै0मु0 रास्ता 0.0930 बारानी–2 0.24	
02	प्रभूदयाल पुत्र रामदेव जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन(पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर मृतक के बजाय:– 1/3. मनोहर पुत्र स्व. प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर 1/5. हवलदार पुत्र स्व0 प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर 1/6. सुबेदार उर्फ सुभाष पुत्र स्व0 प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर	2817/2403/4 2817/2403/5	0.80 0.0380	बारानी–2 बारानी–2	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

	योग खाता	किता-2	0.8380	बारानी-2
03	बोदुराम पुत्र रामदेव जाति जाट सा. देह खातेदार	2817/2403/2	0.8380	बारानी-2
04	1. भगवानी देवी पत्नि चोथमल हिस्सा 1/5 जाति जाट सा.देह खातेदार 2. कैलाशचंद पुत्र चौथमल हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार 3. छत्रपाल सिंह पुत्र चोथमल हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार 4. मोहनी देवी पुत्री चोथमल हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार 5. सीता देवी पुत्री चोथमल हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार	2817/2403/1	0.8380	बारानी-2
05	1. छोटी पत्नी स्व0 शंकरलाल जाति जाट हिस्सा 1/4 सा. देह खातेदार 2. भंवरलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार	2817/2403	0.8380	बारानी-2

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

	3 राजेन्द्र कुमार बिजारनिया पुत्र शकरलाल हिस्सा 1/4 सा. देह खातेदार 4 राजेश बिजारनियां पुत्र शकरलाल हिस्सा 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार				
06	1. प्रभुदयाल पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) पंजाब नेशनल बैंक शाखा श्रीमाधोपुर मृतक के बजायः– 1/3. मनोहर पुत्र स्व. प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर 1/5. हवलदार पुत्र स्व0 प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर 1/6. सुबेदार उर्फ सुभाष पुत्र स्व0 प्रभुदयाल बहिस्सा बराबर–बराबर 2. बोदूराम पुत्र रामदेव हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	2726/2404/1	0.0575	बारानी–2	
07	1. भगवानी देवी पत्नि बोथमल हिस्सा 1/10 जाति				

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

जाट सा. देह खातेदार 2. कैलाशचंद पुत्र चोथमल हिस्सा 1/10 जाति जाट सा. देह खातेदार 3. छत्रपाल सिंह पुत्र चोथमल हिस्सा 1/10 सा. देह खातेदार 4. मोहनी देवी पुत्री चोथमल हिस्सा 1/10 जाति जाट सा. देह खातेदार 5. सीता देवी पुत्री चोथमल हिस्सा 1/10 जाति जाट सा. देह खातेदार 6. छोटी पत्नि स्व0 शंकरलाल हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार 7. भंवरलाल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार 8. राजेन्द्र कुमार बिजारनियां पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार 9. राजेश बिजारनियां पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/8 जाति जाट सा. देह खातेदार	2726/2404/2	0.0575	बारानी-2	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नोट:- मौके पर एक अन्य कुंआ और बना हुआ है जो साहखातेदारों के आपसी सहमति से शामलाती में रहेगा। (उक्त कुंआ राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्राक 1867/भू.अ./23 दिनांक 10.10.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.08.29 17:58:54 IST
Reason: SelfAttested